



दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

एमआईजी फ्लैट संख्या सी-50/एक्स-1, भूतल, ब्लॉक-सी, दिलशाद गार्डन का आवंटन श्री संतोष कुमार चौहान, पुत्र श्री काशीराम चौहान के पक्ष में लीजहोल्ड आधार पर किया गया था, तथापि लीज निष्पादित नहीं की गई थी।

उक्त आवंटिती, श्री संतोष कुमार चौहान का दिनांक 12.04.1993 को निधन हो गया, जिसके उपरांत उक्त फ्लैट का नामांतरण दिनांक 06.06.1994 को श्रीमती कनक चौहान, पत्नी स्वर्गीय श्री संतोष कुमार चौहान के पक्ष में कर दिया गया।

डीडीए को प्राप्त सूचना के अनुसार, उक्त श्रीमती कनक चौहान का भी बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी को छोड़े निधन हो गया है। अतः उक्त फ्लैट का आवंटन निरस्त किये जाने तथा उक्त फ्लैट का कब्जा डीडीए द्वारा पुनः प्राप्त किये जाने की संभावना है।

अतः इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से ऐसे किसी/सभी व्यक्तियों से, जो उपर्युक्त फ्लैट पर किसी भी प्रकार के अधिकार, स्वामित्व अथवा हित का दावा करते हों, आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ समुचित, विधिसम्मत एवं वैध दस्तावेजों सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर उप निदेशक (एमआईजी)-एच, डीडीए, तृतीय तल, डी-ब्लॉक, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएँ। उसके बाद उक्त फ्लैट का आवंटन निरस्त करने तथा उसका कब्जा वापस लेने हेतु उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

निदेशक (आवास)-।

हमें फॉलो करें:  official_dda  ddaofficial  official_dda_

“कृपया दिविप्रा की वेबसाइट ‘www.dda.gov.in’ पर जाएं या टोल फ्री नंबर 1800 110 332 पर डॉयल करें”